Annexure - VI

कार्यालय संयुक्त निदेशक फायर सर्विस मुख्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

पत्रांक रि0/जे0डी0/फा0स0/लखनऊ-17(58)/ [illegible] दिनांक अक्टूबर [illegible] 2017

सेवा में

प्रबन्धक/स्वामी
मैसर्स सरला चौपड़ा
प्लाट न0 ए0-53, सेक्टर-56 नौएडा
जनपद-गौतमबुद्धनगर।

विषय: मैसर्स सरला चौपड़ा डी0ए0वी0 सैनेटरी पब्लिक स्कूल द्वारा प्लाट न0 ए0-53, सेक्टर-56 नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2017-2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ उद्देश्य: यू0आई0डी0 2015/16729/जी0बी0एन0/गौतमबुद्धनगर/3945/जे0डी0

कृपया अपने प्रार्थना पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से प्रश्नगत भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र का वर्ष 2017-2018 हेतु वार्षिक नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर कार्यालय से किया गया है।

उक्त प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सेक्टर-58 नौएडा श्री कुंवर सिंह से कराया गया तो उनकी आख्या रि0/फा0स0-58/2017 दिनांक 09-10-2017 का सुसंगत मानकों के अनुसार परीक्षण कर मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपनी संस्तुति आख्या दिनांक 17-10-2017 उपनिदेशक फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र की आख्या को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी जिसका परीक्षण [illegible] द्वारा किया गया जिसके अनुसार विवरण निम्नवत है-

प्रश्नगत भवन को पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र का विवरण- रि0/सीएफओ/जीबीएन-16(58)/1923 दिनांक 28-12-2015

भवन की संरचना-

1-कुल प्लाट एरिया-20,400.00 वर्ग मी0।
2-निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-4262.42 वर्ग मी0।
3-निर्मित प्रथम तल कवर्ड एरिया-3629.37 वर्ग मी0।
4-निर्मित द्वितीय तल कवर्ड एरिया-3629.37 वर्ग मी0।
5-निर्मित बेसमेन्ट कवर्ड एरिया-730.00 वर्ग मी0।
6-भवन की ऊँचाई-12.20 मीटर।

भवन का अधिभोग- प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0-2005 की एजुकेशनल भवन श्रेणी बी0 के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढांचागत व्यवस्थायें-

1-पहुँच मार्ग- प्रश्नगत भवन के सामने 30.00 मी0 चौड़ा रोड मानकों के अनुसार उपलब्ध है। तथा प्रवेश/निकास द्वार की चौड़ाई मानकों के अनुसार उपलब्ध है।

2-सैटबैक- प्रश्नगत भवन परिसर के सैटबैक भवन विनियमावली-2008 के अनुसार उपलब्ध है। जिसमें किसी प्रकार का स्थायी/अस्थाई निर्माण कार्य एवं पार्किंग अनुमन्य नहीं होगी। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखा जाये।

3-निकास मार्ग- प्रश्नगत भवन में 02 अदद स्टेयरकेस जिनकी चौड़ाई 01.50 मी0 प्रत्येक उपलब्ध है। तथा समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है, निकास मार्गों में ग्लास फसाड अनुमन्य नहीं होगा जिनको सदैव वेन्टीलेटिड/नेचुरल रखा जाये।

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था-प्रश्नगत निर्मित भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं उसमें सन्दर्भित बी0आई0एस0:3844 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें मानक के अनुसार स्थापित पायी गयी-

1-होजरील/डाउनकामर- प्रश्नगत निर्मित भवन में होजरील, डाउनकमर, लैण्डिंग वाल्व, होजबाक्स, होज पाइप एवं का प्राविधान एन0बी0सी0 मानकों के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा में पाई गई।

ATTESTED
Principal
Sarla Chopra D.A.V. Public School
Sector 56, Noida

[illegible]
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस

[illegible] प्रस्तुत भवन में [illegible] अपेक्षित नहीं है।

[illegible] पम्प– प्रस्तुत भवन में [illegible] नहीं है।

[illegible]–टेरिस टैंक– प्रस्तुत भवन में टेरिस टैंक 10,000 [illegible] की क्षमता के 02 अदद कार्यशील दशा में स्थापित है।

[illegible]–टेरिस पम्प– प्रस्तुत भवन की टेरिस पर टेरिस पम्प [illegible] की क्षमता के 02 अदद कार्यशील दशा में स्थापित है।

[illegible]–प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)– भारतीय मानक ब्यूरो के [illegible] के अनुसार कार्यशील दशा में स्थापित हैं।

[illegible]–डेराइजर– प्रस्तुत भवन में डेराइजर सिस्टम अपेक्षित नहीं है।

[illegible]–यार्ड हाईड्रेन्ट– प्रस्तुत भवन में यार्ड हाईड्रेन्ट सिस्टम अपेक्षित नहीं है।

[illegible]–ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम– प्रस्तुत भवन के बेसमेन्ट में ऑटोमैटिक स्प्रिंकलर सिस्टम कार्यशील दशा में स्थापित है।

[illegible]–मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम–प्रस्तुत भवन में मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार स्थापित है।

[illegible]–ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम–प्रस्तुत भवन में ऑटोमैटिक डिटेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन०बी०सी० मानक के अनुसार स्थापित है।

[illegible]–स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम– प्रस्तुत भवन में अपेक्षित नहीं है।

[illegible]–प्रेशराईजेशन– प्रस्तुत भवन में अपेक्षित नहीं है।

[illegible]–पी०ए० सिस्टम– प्रस्तुत भवन में पी०ए० सिस्टम स्थापित है।

[illegible]–एग्जिट साईनेज–प्रस्तुत भवन में एग्जिट साईनेज स्थापित है।

अतः उपरोक्तानुसार संस्तुति [illegible] के आधार पर प्रस्तुत भवन [illegible] सरला चोपड़ा डी०ए०वी० [illegible] प्लाट नं० [illegible], सेक्टर–56 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर में निर्मित शैक्षणिक भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं का [illegible] [illegible] हेतु [illegible] नवीनीकरण प्रमाण पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है–

1–भवन स्वामी को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स [illegible] बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाये।

2–भवन में स्थापित अग्निशमन प्रणाली के संचालन हेतु एन०बी०सी०–2005 के [illegible]–5 के अनुसार नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त रखा जाये।

3–भवन में किसी प्रकार का निर्माण कराये जाने से पूर्व नोएडा / ग्रेटर नोएडा भवन नियमावली के अनुसार अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

4–भवन में [illegible] सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल / फायर ड्रिल कराई जाये तथा एन०बी०सी०–2005 के एनेक्स–[illegible]–3 के अनुसार इमरजेन्सी [illegible] प्लान तैयार कर इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।

5–भवन में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में पाये जाने पर [illegible] उत्तरदायित्व [illegible] का होगा।

उपरोक्त के विपरीत किसी भी कार्य के लिये भवन स्वामी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होगा एवं नवीनीकरण स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

[illegible]
[illegible]
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि– [illegible] फायर सर्विस मेरठ परिक्षेत्र को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
2–[illegible] अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।
3–अग्निशमन अधिकारी नोएडा सेक्टर–58 को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ।

ATTESTED

Principal
Sarla Chopra D.A.V. Public School
[illegible]